संख्या–1254/9–9–16–58ज/2000

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषयः नागर स्थानीय निकायों हेतु वर्ष 2016–17 के लिये कर–करेत्तर राजस्व वसूली लक्ष्य निर्धारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सांख्यिकी सेल(च)/726/कर–करेत्तर दिनांक 17.08.15 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये कर–करेत्तर राजस्व वसूली के लक्ष्य निर्धारण के सम्बंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

1–प्रदेश की जिन नागर निकायों द्वारा गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत से कम वसूली की गयी है, उनके वास्तविक वसूली में 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया जाय ।

2– प्रदेश की जिन नागर निकायों द्वारा गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक तथा 80 प्रतिशत से कम वसूली की गयी है उनके वास्तविक वसूली में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया जाय ।

3– प्रदेश की जिन नागर निकायों द्वारा गत वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत या उससे अधिक वसूली की गयी है उनके वास्तविक वसूली में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्तमान वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया जाय ।

2. कर–करेत्तर राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निकायों द्वारा वित्तीय संसाधनों मे वृद्धि के सकारात्मक प्रयास सुनिश्चित कराये जाए। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय संसाधनों मे वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास न करने तथा कम राजस्व वसूली करने वाली निकायों के अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये। कर–करेत्तर राजस्व वसूली की त्रैमासिक प्रगति रिर्पोट निकाय द्वारा तैयार कर निदेशक, स्थानीय निकाय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समस्त निकायों के कर–करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए समेकित छमाही प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

go-v

कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कर-करेत्तर राजस्व वूसली की समेकित प्रगति रिर्पोट समय समय पर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय।)
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

22.9.16

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-v